न्यायालय समाहत्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–276/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम सोनू कुमार महतो एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
01/12/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1082/म0नि0को0 दिनांक– 30.10.2019 से प्राप्त बहेड़ा थाना कांड संख्या–403/19 दिनांक 24.08.2019 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 सं0– BR07S-6896 को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में वे इस वाद की कार्यवाही में दिनांक–13.03.2020 को उपस्थित हुए हैं। परन्तु उसके पश्चात लगातार अनुपस्थित है और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किये। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी वाहन स्वामी को इस संबंध में कुछ नही कहना है। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गई। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती के दौरान सूचना मिली की करहरी के सामने नदी किनारे से दारू आने जाने की संभावना है। प्राप्त सूचना पर करहरी के लिए प्रस्थान किया। नदी किनारे पहुँचने पर देखा गया कि एक मोटरसाईकिल लाल पल्सर नदी किनारे से निकला जिसका रजि0 सं0– BR07S-6896 है, पर सवार व्यक्ति पुलिस को देख भागना चाहा, जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। मोटरसाईकिल पर प्लास्टिक के बोरा में रखे एक कार्टून बन्धा था जिसे खोला गया तो विदेशी शराब पाया गया। गिनती किया गया तो 180 एम0एल0 का 38 बोतल कुल–6.840 लीटर कसीनोज प्राईड कम्पनी का बरामद हुआ। पकड़ाये अभियुक्त से पुछताछ में बताया गया कि शराब झाड़ी में छिपाकर रखा है, तो झाड़ी में छिपाकर रखा हुआ भाड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। दो स्वतंत्र साक्षी की खोज की गई तो कोई उपलब्ध नही पाया गया। तत्पश्चात् बरामद शराब को पुलिस बल के दो सदस्य को स्वतंत्र साक्षी मानकर जब्ती सूची तैयार करते हुए विधिवत जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस बल को सूचना प्राप्त होने पर करहरी नदी किनारे से आते मोटरसाईकिल पर प्लास्टीक के बोरा में रखे एक कार्टुन बन्धा था देखा गया, जिसमें 180 एम0एल0 का 38 बोतल कसीनोज प्राईड कम्पनी का कुल–06.840 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस का तामिला कराया गया। तदालोक में दिनांक–13.03.2020 को इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित हुए है परन्तु उसके उपरान्त इस वाद की कार्यवाही में वे उपस्थित नही हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किये। जिससे स्पष्ट है कि उन्हे इस संबंध में कुछ नही कहना है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा	

था, जिस राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बहेड़ा थाना कांड संख्या–403/19 दिनांक 24.08.2019 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07S-6896 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा